न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 169 / 2019

निर्णय दिनांक :–12.08.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. शिवसिंह पुत्र हरनाथ जाति मीणा निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक
2. बच्ची पुत्री हरनाथ जाति मीणा निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक
3. कमला पुत्री हरनाथ जाति मीणा निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक
4. जमना बेवा हरनाथ जाति मीणा निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक
5. दुर्गालाल पुत्र हरनाथ जाति मीणा निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक
6. मानसिंह पुत्र हरनाथ जाति मीणा निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक

– प्रार्थीगण–

बनाम

1. गीता देवी पत्नी हुक्म सिंह जाति मीणा निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक
2. सोहनी देवी पत्नी केसरलाल जाति रेगर निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक
3. अर्जुन पुत्र छोगा जाति रेगर निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक
4. तहसीलदार महोदय, दूनी जिला टोंक

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–

श्री प्रकाश चन्द जैन
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री शिवजी राम डिडवानिया
अधिवक्ता अप्रार्थी गण संख्या 1 ता 3

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.</u>

प्रार्थना पत्र वास्ते निर्णय पेश हुआ। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1168 रकबा 0.88 है0, खसरा नम्बर 1169 रकबा 0.01 है0 गै. मु. चाह वाके ग्राम दांता पटवार हल्का सांवतगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी भूमि ख. नं. 1142 रकबा 1.26 है0 एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की खातेदारी की भूमि

नं. 1143 रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम दांता पटवार हल्का सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी भूमि पर अप्रार्थीगण 1 ता 3 की उक्त वर्णित आराजीयात ख. नं. 1142 व 1143 की भूमि के पूर्व दिशा की आरे से आते जाते रहे है तथा रास्ता बना हुआ है । प्रार्थीगण उक्त रास्ते से होकर अपनी भूमि व कुएं पर कई वर्षो से से आ जा रहे है तथा उपयोग उपभोग कर रहे है परन्तु अब अप्रार्थीगण 1 ता 3 ने प्रार्थीगण के खेत व कुएं पर जाने का रास्ता बन्द कर दिया है ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को उक्त रास्ते में जाने के लिये मना कर दिया है इस कारण प्रार्थीगण अपनी जमीन पर आ जा नही पा रहे है तथा भूमि को काश्त नही कर पा रहे है तथा वर्तमान में फसल बोनें का समय आ गया है इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण 1 ता 3 की उक्त खातेदारी की भमि ख. नं. 1142 व 1143 की पूर्व दिश की तरफ 20 फीट चौडा रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अपनी जमीन में जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण नियमानुसार डीएलसी की दुगनी राशि अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजी भूमि ख. नं. 1168 रकबा 0.88 है0, ख. नं. 1169 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम दांता पो0 सांवतगढ तहसील देवली में जाने के लिये अप्रार्थीगण 1 ता 3 की खातेदारी की भूमि ख. नं. 1142 व 1143 में से पूर्व दिशा की तरफ 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करे तथा उक्त रास्ते को नक्शा शीट में तरमीम किया जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव वर्मा व श्री शिवजीराम डडवानिया ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 4 तहसीलदार दूनी ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जवाब/विस्तृत मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः— प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना अंकित किया है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा आवेदित ख. नं. 1142 व 1143 दोनो में 6 मीटर चौडाई व ख. नं. 1142 में 96 मीटर लम्बाई व ख. नं. 1143 में 116 मीटर लम्बाई होगी। इस प्रकार ख. नं. 1142 में 576 वर्ग मीटर व ख. नं. 1143 में 696 वर्ग मीटर कुल 1272 वर्ग मीटर भूमि होगी। प्रस्तावित रास्ता चाहने चाहने वाली भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 358430/— रू0 प्रति हैक्टेयर, दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 45600/— रूपये होगी। आवेदक की भूमि स्वयं की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में चिन्हित कर दिया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड, दीवार, संरचना नही है। ख. नं. 1142 व 1143 के अप्रार्थी रास्ता देने हेतु सहमत नही है। मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, संलग्न है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को स्वयं की आराजी में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। अतः रिपोर्ट अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने बहस में रास्ते की आवश्यकता तो बताई परन्तु अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि अन्य खसरा नम्बर से प्रार्थीगण पूर्व में आता जाता रहा है। उन्ही ख. नं. से रास्ता दिया जा सकता है परन्तु उन्होने अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के 1168 व 1169 मे जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस बाबत अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने भी अन्य कोई रास्ता नहीं सुझाया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नम्बर की ख. नं. 1142 में चौडाई 6 मीटर एवं लम्बाई 96 मीटर अर्थात 576 वर्ग मीटर, ख. नं. 1143 में चौडाई 6 मीटर एवं लम्बाई 116 मीटर अर्थात 696 वर्ग मीटर, कुल क्षैत्रफल 1272 वर्ग मीटर होगा, उक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर 358430/– रू0 प्रति हैक्टेयर के अनुसार कुल क्षैत्रफल 1272 वर्गमीटर की डी.एल.सी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 45600/– रूपये अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार प्रदान करे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली